पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

हरीश कुमार गुप्ता उर्फ़ हरीश एवं अन्य

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2019 की आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.760

28 अगस्त, 2023

[माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार सिन्हा]

विचार के लिए मुद्दा

क्या धारा 156(3) दं.प्र.सं. के अंतर्गत प्राथमिकी की पंजीकरण की प्रक्रिया, प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य निर्णय में निर्धारित अनिवार्य शर्तों का पालन किए बिना की गई हो, तो वह विधिक रूप से स्वीकार्य है?

हेडनोट्स

शिकायत पत्र में ऐसा कोई कथन नहीं है कि शिकायतकर्ता ने धारा 156(3) दं.प्र.सं. के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराने से पूर्व धारा 154(1) एवं 154(3) दं.प्र.सं. के अंतर्गत आवेदन दिया था। यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि शिकायत शपथपत्र द्वारा समर्थित नहीं थी। (पैरा - 10)

शिकायत को केवल शिकायतकर्ता के अनुरोध पर पुलिस को धारा 156(3) दं.प्र.सं. के अंतर्गत अग्रेषित किया गया। दंडाधिकारी का यह कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि धारा 154(1) एवं 154(3) दं.प्र.सं. के अंतर्गत निहित प्रावधानों का पालन किया गया हो। (पैरा - 12)

दंडाधिकारी द्वारा पारित आदेश एवं उससे संबंधित प्राथमिकी को निरस्त किया जाता है। (पैरा - 14)

न्याय दृष्टान्त

प्रियंका श्रीवास्तव एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, **(2015) 6 एस.सी.सी. 287**; बिपिन कुमार सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, **2016 (1) पी.एल.जे.आर. 923**; आनंद कुमार मोहट्टा एवं अन्य बनाम राज्य (एन.सी.टी. दिल्ली), गृह विभाग एवं अन्य, **(2019) 11 एस.सी.सी. 706**

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860 — धारा 406, 420, 409, 468, 471, 120बी; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 — धारा 154(1), 154(3), 156(3)

मुख्य शब्दों की सूची

प्राथमिकी रद्द करना; धारा 156(3) दं.प्र.सं.; धारा 154 के अंतर्गत पूर्व आवेदन; व्यावसायिक विवाद; न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग; शपथपत्र की अनिवार्यता; प्रियंका श्रीवास्तव मामला; प्राथमिकी का अनुपालन; संज्ञेय अपराध; न्यायिक निगरानी

प्रकरण से उत्पन्न

थाना बाढ़ थाना मामला सं 409 / 2014, जो कि शिकायत मामला सं 708(सी) / 2014 से उत्पन्न हुआ।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ताओं की ओर से: श्रीमती अर्चना सिन्हा, अधिवक्ता; श्री आलोक कुमार उर्फ़ आलोक कुमार शाही, अधिवक्ता

प्रतिवादी राज्य की ओर से: श्री प्रभात कुमार वर्मा, अधिवक्ता; श्री सुमन कुमार झा, सहायक अपर महाधिवक्ता - 3 के सहायक अधिवक्ता

प्रतिवादी सं 4 की ओर से: श्री अरुण कुमार अरुण, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2019 की आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.760

थाना कांड सं-409 वर्ष-2014 थाना-बाढ़,जिला-पटना से उद्भूत

==

1. हरीश कुमार गुप्ता उर्फ़ हरीश, पिता-स्वर्गीय श्याम सुंदर गुप्ता, भारत कन्वेंसिंग कंपनी के भागीदार होने के नाते, निवासी 54/4, ओम भवन, स्ट्रैंड रोड, पोस्ता बाजार, थाना-बड़ा बाजार, जिला- कोलकाता।
2. पन्ना लाल साह, पिता-स्वर्गीय बैजनाथ साह, अंकित इंडस्ट्रीज के हिस्सेदार होने के नाते, निवासी 11- ए/4- 10, गोरा पारा सरकार लेन, थाना-उल्टाडांगा, जिला-कोलकाता।
3. निखिल पोद्दार, पुत्र विनोद कुमार पोद्दार मेसर्स विनोद कुमार एंड ब्रदर्स के हिस्सेदार होने के नाते, जिसका व्यवसाय स्थल पी-200, दुकान ए/6, जगन्नाथ घाट क्रॉस रोड, थाना-पोस्ता, जिला-कोलकाता है।
4. जयवर्धन गुप्ता उर्फ़ जयवर्धन, पिता-बिनुलाल करीबल,निवासी 188-ए/15, माणिक तल्ला मेन रोड,थाना-माणिक तल्ला, जिला-कोलकाता।

... ...याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव, गृह विभाग ,बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना
3. प्रभारी अधिकारी, बाढ़ पुलिस थाना, पटना

4. मनीष कुमार, पिता-श्री सुरेंद्र प्रसाद, निवासी-मोहल्ला-सलेमपुर,गोला रोड,थाना- बाढ़ , जिला-पटना

... ...उत्तरदाता/ओं

==

उपस्थितिः

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्रीमती अर्चना सिन्हा, अधिवक्ता
	:	श्री आलोक कुमार उर्फ़ आलोक कुमार शाही
उत्तरदाता राज्य के लिए	:	श्री प्रभात कुमार वर्मा, श्री सुमनकुमार झा, ए.ए जी 3 के एसी
उत्तरदाता सं. 4 के लिए	:	श्री अरुण कुमार अरुण, अधिवक्ता

==

गणपूर्ति : माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा

सीएवी आदेश

8 28-08-2023 1. वर्तमान रिट आवेदन भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420, 409, 468, 471 और 120 बी के तहत दिनांक 09-10-2014 को दर्ज बाढ़ पुलिस थाना कांड सं 409/2014 की प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गयी है।

2. वर्तमान रिट आवेदन को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 26-09-2014 को, विपक्षी पक्ष सं4/शिकायतकर्ता ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बाढ़, पटना की अदालत में भा.दं.वि. की धारा 406/420/409/506/468/471/120 बी के तहत याचिकाकर्ताओं और एक अन्य आरोपी व्यक्ति के खिलाफ एक शिकायत याचिका दायर की, जिसे शिकायत मामला सं 708 (सी) 2014 के रूप में दर्ज किया गया। शिकायत में कहा गया है कि दिनांक 08-12-2012 को, याचिकाकर्ता सं 1, जो एक एजेंट है, ने शिकायतकर्ता को एक

प्रस्ताव दिया और उसे 3451 रुपये प्रति क्विंटल की दर से दलहन खरीदने के लिए राजी किया, जिस पर शिकायतकर्ता सहमत हो गया और 30,000 रुपये का अग्रिम भुगतान किया गया।पुनः याचिकाकर्ताओं/आरोपी व्यक्तियों के अनुरोध पर शिकायतकर्ता ने 3505 रुपये प्रति क्विंटल की दर से दलहन खरीदी और अग्रिम राशि के रूप में 25,000 रुपये का भुगतान किया।याचिकाकर्ताओं ने प्रतिफल राशि का कुछ हिस्सा प्राप्त कर लेने के बावजूद शिकायतकर्ता को दलहन की आपूर्ति नहीं की और इसलिए याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध उपरोक्त शिकायत मामला दर्ज किया गया। विद्वान ए.सी.जे.एम., बाढ़, पटना ने दं.प्र.सं.की धारा 156 (3) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। तदनुसार, दिनांक 09-10-2014 को बाढ़ पुलिस थाना कांड सं 409/2014 को (अनुलग्नक-1) पंजीकृत किया गया।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि संबंधित प्राथमिकी विद्वान दंडाधिकारी के निर्देश पर दिनांक 26-09-2014 को दं.प्र.सं.की धारा 156(3) के तहत दर्ज की गई थी। शिकायत में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों के अवलोकन से किसी अपराध का पता नहीं चलता है और यह मामला दोनों पक्षों के बीच वाणिज्यिक विवाद का परिणाम है। शिकायत याचिका के अवलोकन से यह प्रतीत नहीं होता है कि विरोधी पक्ष सं 4 द्वारा दायर धारा 156 (3) दं.प्र.सं.आवेदन के समर्थन में शिकायतकर्ता द्वारा विधिवत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था। शिकायत याचिका में ऐसा कोई बयान नहीं है कि शिकायतकर्ता/विरोधी पक्ष सं 4 ने दं.प्र.सं.की धारा 156 (3) के तहत याचिका दायर करने से पहले धारा 154(1) और 154(3) दं.प्र.सं.के तहत एस.एच.ओ. और पुलिस अधीक्षक को पूर्व आवेदन दिया था। तदनुसार, निवेदन यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रियंका श्रीवास्तव एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2015) 6 एससीसी 287 में दिए गए निर्णय के आलोक में यह शिकायत विचारणीय नहीं है और इसलिए धारा 156(3) दं.प्र.सं.के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी निरस्त किए जाने योग्य है।

4. विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के 2016 (1) पीएलजेआर 923 बिपिन कुमार सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य पुलिस महानिदेशक एवं अन्य के माध्यम से, में दिए गए निर्णय का भी हवाला दिया है और प्रस्तुत किया है कि यह न्यायालय प्रियंका श्रीवास्तव (उपरोक्त) के निर्णय को ध्यान में रखते हुए धारा 156(3) दं.प्र.सं. के तहत दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करता है। उन्होंने (2019) 11 एससीसी 706 , आनंद कुमार मोहत्ता एवं अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली), गृह विभाग एवं अन्य, में दिए गए एक फैसले का भी हवाला दिया है, जिसमें यह प्रस्ताव दिया गया है कि न्यायालय आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी प्राथमिकी को निरस्त कर सकता है।

5. दूसरी ओर, विपक्षी पक्ष सं.4 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि शिकायत के मामले में दिया गया बयान अपराध की श्रेणी में आता है क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने राशि प्राप्त करने के बाद भी बेईमानी की नीयत से शिकायतकर्ता को दाल नहीं दी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि पुलिस ने जांच के उपरांत आरोप-पत्र प्रस्तुत कर दिया है। तदनुसार, यह रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

6. दूसरी ओर, विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने जवाबी हलफनामे का उल्लेख करते हुए कहा कि बाढ़ पुलिस थाना कांड सं 409/2014, शिकायत कांड सं 708(सी)/2014 में धारा 156(3) दं.प्र.सं.के तहत विद्वान दंडाधिकारी द्वारा जारी निर्देश के आधार पर दर्ज किया गया था। प्राथमिकी अभी भी जांच के अधीन है क्योंकि पर्यवेक्षण के दौरान कुछ निर्देश जारी किए गए थे और पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया गया है।

7. मैंने याचिकाकर्ताओं, राज्य और विपक्षी पक्ष सं4 के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है।संक्षेप में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं का तर्क यह है कि धारा 156(3) दं.प्र.सं.के तहत दंडाधिकारी को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी ने संज्ञेय अपराध की जानकारी देने वाले सूचनादाता

द्वारा दी गई प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया हो और पुलिस अधीक्षक से संपर्क किए जाने के बावजूद, दं.प्र.सं.की धारा 154(3) के तहत उचित कार्रवाई करने में विफल रहे हों। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रियंका श्रीवास्तव (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय में दंडाधिकारी द्वारा धारा 156(3) दं.प्र.सं.के तहत शक्ति के प्रयोग पर विचार किया है, जिसकी सहायता याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं ने ली है।

8. उक्त निर्णय के कंडिका 30 और 31 को तत्काल संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है:-

> "30. हमारी सुविचारित राय में, इस देश में एक ऐसा समय आ गया है जहाँ धारा 156(3) दं.प्र.सं.के तहत आवेदनों को एक ऐसे हलफनामे द्वारा समर्थित किया जाना आवश्यक है जिस पर दंडाधिकारी के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने के इच्छुक आवेदक द्वारा विधिवत शपथ ली गई हो। इसके अलावा, किसी उपयुक्त मामले में, विद्वान दंडाधिकारी को सत्य की पुष्टि के साथ ही आरोपों की सत्यता की भी पुष्टि भी करनी चाहिए।यह हलफनामा आवेदक को और अधिक जिम्मेदार बना सकता है। हम ऐसा कहने के लिए बाध्य हैं क्योंकि इस तरह के आवेदन केवल कुछ लोगों को परेशान करने के लिए, बिना किसी जिम्मेदारी के और नियमित रूप से दायर किए जा रहे हैं। इसके अलावा, यह तब और चिंताजनक हो जाता है जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो ऐसे किसी वैधानिक प्रावधान के तहत आदेश पारित कर रहे हैं जिसे उक्त अधिनियम के ढांचे के तहत अथवा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती दी जा सकती है। लेकिन किसी आपराधिक अदालत में अनुचित लाभ उठाने के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता जैसे कोई बदला लेने पर उतारू हो।

31. हम पहले ही संकेत दे चुके हैं कि धारा 156(3) के तहत याचिका दायर करते समय धारा 154(1) और 154(3) के तहत पूर्व आवेदन होने चाहिए।आवेदन में दोनों पहलुओं को स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए और इस आशय के आवश्यक दस्तावेज दाखिल किए जाने चाहिए। धारा 156(3) के तहत आवेदन को हलफनामे द्वारा समर्थित करने का निर्देश देने का वारंट इसलिए जारी किया गया है ताकि आवेदन करने वाला व्यक्ति सचेत रहे और यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास करे कि कोई झूठा हलफनामा न दिया जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हलफनामा झूठा पाए जाने पर वह कानून के अनुसार अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा। इससे वह धारा 156(3) के तहत दंडाधिकारी के अधिकार का अनायास ही प्रयोग करने से बचेगा। इसके अलावा, हम पहले ही कह चुके हैं कि मामले के आरोपों की प्रकृति को देखते हुए विद्वान दंडाधिकारी द्वारा भी इसकी सत्यता की पुष्टि की जा सकती है। हम ऐसा कहने के लिए बाध्य हैं क्योंकि वित्तीय क्षेत्र, वैवाहिक विवाद/पारिवारिक विवाद, वाणिज्यिक अपराध, चिकित्सा लापरवाही के मामले, भ्रष्टाचार के मामले और आपराधिक अभियोजन शुरू करने में असामान्य देरी/आलस्य से संबंधित कई मामले दर्ज किए जा रहे हैं ,जैसा कि ललिता कुमारी मामले में देखा गया है। इसके अलावा, विद्वान दंडाधिकारी को प्राथमिकी दर्ज करने में हुई देरी के बारे में भी पता होगा।"

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रियंका श्रीवास्तव (उपरोक्त) मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि दं.प्र.सं.की धारा 154(1) और 154(3) के तहत पूर्व आवेदन प्रस्तुत किए जाने चाहिए और साथ ही धारा 156(3) दं.प्र.सं.के आवेदन के साथ दंडाधिकारी के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने वाले शिकायतकर्ता द्वारा विधिवत शपथ पत्र भी दाखिल किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे यह भी कहा है कि इन दोनों पहलुओं को

आवेदन/शिकायत में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए और इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

10. शिकायत याचिका के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता/विपक्षी सं 4 ने वर्तमान शिकायत धारा 156 (3) दं.प्र.सं.के अंतर्गत दायर की है और प्रार्थना की है कि वर्तमान शिकायत को धारा 156 (3) दं.प्र.सं.के अंतर्गत बाढ़ पुलिस थाने को आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु अग्रेषित किया जाए। शिकायत याचिका दायर होने के उपरान्त, विद्वान दंडाधिकारी ने 26-09-2014 को बाढ़ पुलिस थाने के एसएचओ को धारा 156 (3) दं.प्र.सं.के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करने एवं जांच हेतु इसे अनुमोदित किया। शिकायत याचिका में ऐसा कोई कथन नहीं है कि शिकायतकर्ता ने धारा 156 (3) दं.प्र.सं. के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने से पहले धारा 154 (1) दं.प्र.सं. एवं 154 (3) दं.प्र.सं. के अंतर्गत आवेदन किया था। इसके अलावा , शिकायत किसी हलफनामे द्वारा समर्थित नहीं है।

11. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रियंका श्रीवास्तव (उपरोक्त) मामले में निर्धारित कानून के अनुसार, धारा 156(3) दं.प्र.सं.के अंतर्गत शिकायत को संदर्भित करने से पहले, विद्वान दंडाधिकारी का यह दायित्व यह सुनिश्चित करना था कि शिकायत याचिका दायर करने से पहले, शिकायतकर्ता ने संज्ञेय अपराध का खुलासा करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस थाने के एसएचओ से संपर्क किया था और एसएचओ द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार करने पर, शिकायतकर्ता ने धारा 154(3) दं.प्र.सं.के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक को डाक द्वारा लिखित आवेदन/सूचना प्रस्तुत की थी

12. धारा 156(3) दं.प्र.सं.के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दंडाधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि धारा 154(1) और 154(3) दं.प्र.सं.के तहत स्थापित प्रावधानों का पालन किया गया है।अभिलेख से यह पता चलता है कि शिकायत याचिका दायर करने से पहले, शिकायतकर्ता ने धारा 154(1) और 154(3) दं.प्र.सं.के तहत

कोई कार्रवाई नहीं की और शिकायत किसी हलफनामे द्वारा समर्थित भी नहीं है। यह भी स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता के केवल पूछने मात्र पर ही शिकायत को धारा 156(3) के तहत पुलिस को भेज दिया गया था।

13. उपर्युक्त चर्चाओं के मद्देनजर, मेरा यह सुविचारित मत है कि याचिकाकर्ताओं, अर्थात् प्रियंका श्रीवास्तव (उपरोक्त) और बिपिन कुमार सिंह (उपरोक्त) द्वारा जिस निर्णय का हवाला दिया गया है, वह वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूरी तरह लागू होता है। अतः, विद्वान ए.सी.जे.एम., बाढ़, पटना द्वारा दिनांक 26-09-2014 को धारा 156(3) दं.प्र.सं.के तहत प्राथमिकी दर्ज करने और जांच के लिए पुलिस को शिकायत भेजना उचित नहीं था और यह अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

14. तदनुसार, विद्वान ए.सी.जे.एम., बाढ़, पटना द्वारा शिकायत अग्रेषित करने संबंधी दिनांक 26-09-2014 का आदेश और बाढ़ थाना कांड सं 409/2014 दिनांक 09-10-2014 वाली प्राथमिकी को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

15. वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।

(अनिल कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

प्रफुल/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।